22/3/21

पत्रावली पेश हुई। आज कार्य प्रभाव, मुण्डावर हौरा प्रार्थी
... दिए ... हाजिर किया है। पत्रावली वास्ते
आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23/3/21
को पेश हो।

23/3/21

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित / वकील वादी की बहस सुनी गई। वादी के वाद का सार यह है कि हाल आ० ख० नं० 216/0.16, 217/0.25, 218/0.52 है० वाके ग्राम जोगाबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित है कि साबिक ख० नं० 57 जिन रकबा 13 बिस्वा से हाल 216/0.16 साबिक 57 जिन रकबा 1 बीघा से हाल 217/0.25 व साबिक 57 जिनका रकबा 3 बिस्वा लेकर हाल ख० नं० 218 रकबा 0.52 हैक्टर नया बंदोबस्त [illegible] किये गये है। साबिक ख० नं० 57 1 बीघा 16 बिस्वा का होकर खातेदार मोहर सिंह, [illegible] इन्द्राज कौम महाजन निवासी मौजा रहा है जिसमें उक्त आराजी का 2/3 भाग यानि रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा जिनवादी के पिता [illegible] पुत्र नन्दराम जाट निवासी मौजा ने जरिये बेयनामा दिनांक 8/…/63 के खरीद किया था तथा पिता के नाम मुताबिक बेयनामा इन्तकाल नं० 306 दिनांक 11/12/63 को दर्ज व मंजूर हो गया। सम्वत 2029 में सैटलमैन्ट के दौरान साबिक ख० नं० 57 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा से हाल ख० नं० पैमाइश करते समय खिलाफ [illegible] का खिलाफ कानून व खिलाफ रिकार्ड जिनवादी के पिता के नाम ख० नं० 217 रकबा 1 बीघा यानि 0.25 है० दर्ज कर पैमाइश कर [illegible] किया जो खरीदशुदा आराजी का 4 बिस्वा रकबा [illegible] 216 में व 3 बिस्वा रकबा हाल ख० नं० 218 [illegible] प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया [illegible] खरीदशुदा आराजी का रकबा [illegible] प्रतिवादीगण, के नाम से कम करके हाल आ० ख० नं० 217 का रकबा 0.31 हैक्टर दर्ज कराने का अधिकारी है। निवेदन करते हुए

२५६

सहायक कलेक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:22:24 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वाद पत्र के विरूद्ध प्रतिवादीगण । डिक्री किये जाने का निवेदन है।	
प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तामील	
प्रतिवादी सं० 1 लगायत 18 के अनुपस्थित रहने की स्थिति में	
उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी [illegible]	
[illegible] जवाब पेश [illegible] नहीं	
[illegible] एकपक्षीय समाप्त किया गया।	
वादी ने अपने वाद पत्र की ताईद में लिखित साक्ष्य [illegible]	
नकल खसरा [illegible] प्रदर्श-1, रजिस्ट्री की कॉपी [illegible]	
[illegible] प्रदर्श-2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2023 प्रदर्श-3,4	
एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2029 प्रदर्श-5,6,7 तथा नकल हाल जमाबन्दी	
ख० नं० 216 प्रदर्श-8, नकल हाल जमाबन्दी ख० नं० 217 प्रदर्श-9, नकल	
हाल ख० नं० 218 प्रदर्श-10 एवं नकल जमाबन्दी सं० 2019 प्रदर्श-11	
पेश किये एवं मौखिक साक्ष्य में अपना शपथ-पत्र PW-1 पेश	
किया जो शामिल पत्रावली है।	
वकील वादी की बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस	
वकील वादी ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए वादी के	
पिता द्वारा क्रय बैयनामा दिनांक 8/8/1963 खरीद की गई आराजी	
एवं उक्त बैयनामा के मुताबिक इन्तकाल सं० 306 दिनांक 11/12/63	
दर्ज व मन्जूर होने के आधार पर सम्वत 2029 में [illegible]	
[illegible] ख० नं० 57 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा [illegible]	
एवं [illegible] वादी के पिता के नाम रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा	
बजाय ख० नं० 217 रकबा 1 बीघा [illegible] 0.25 हैक्टर दर्ज कर [illegible]	
[illegible] आराजी का 4 बिस्वा रकबे को [illegible] हाल ख० नं० 216 के	
व 3 बिस्वा रकबे को हाल ख० नं० 218 में [illegible]	
[illegible]	
हाल ख० नं० 217 रकबा 0.25 हैक्टर जोड़ा जाकर हाल	
ख० नं० 217 का रकबा 0.31 हैक्टर किया जाकर [illegible]	
किये जाने का अभिकथन किया। वकील वादी [illegible]	
बहस सुने जाने एवं पत्रावली व पत्रावली [illegible]	
का गहनतापूर्वक अवलोकन उपरान्त वादी के वाद को [illegible]	
आंशिक स्वीकार योग्य पाता हूँ। [illegible]	
सहायक कलक्टर गुढ़ाबर (अलवर) राज०	

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार/मंजूर करते हुए खसरा नं. 217 रकबा 0.25 हैक्टेयर ग्राम जोडावास, तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज.) के वाद को आंशिक डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी ख.नं. 216 रकबा 0.16 हैक्टेयर में से रकबा 0.01 हैक्टेयर तथा हाल आराजी ख.नं. 218 रकबा 0.52 हैक्टेयर में से रकबा 0.04 हैक्टेयर वादी की हिस्सा आराजी की हद तक प्रतिवादीगण के नाम को खारिज किया जाकर उक्तानुसार कुल रकबा 0.05 हैक्टेयर वादी के हाल आ.ख.नं. 217 रकबा 0.25 हैक्टेयर में सम्मिलित कर कुल रकबा 0.30 हैक्टेयर हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकार्ड किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार पक्षकार डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णीत कुमशुदा वाद तैयारी डिक्री एवं नकल के बाद निर्णय एवं डिक्री की अमलदरामद आंशिक रहेगा। नकल निर्णय/डिक्री का पालन करावें। पत्रावली वाद तकमील जमा जिला रेकर्ड भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[signature]

23/3/21

सहायक कलेक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:22:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :— रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	आशिंक पर्चा डिक्री दिनांक
147 / 2020	21.10.2020	23.03.2021

उनवान

1 कुडिया पुत्र मंगलराम जाति जाट निवासी भानोत तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: वादीगण

बनाम

1 पूर्णसिंह
2. मुकेश कुमार
3. लालचन्द
4. सुनील कुमार पुत्रान सीताराम
5. जामुन्ती देवी
6. मायादेवी पुत्रीयान सीताराम
7. सावत्री देवी पत्नी सीताराम जातियान ब्राहामण निवासी भानोत तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
8. रमेश
9. रामोवतार पुत्रान रामजीलाल
10. राजेश कुमार पुत्र कैलाश
11. हेमलता पुत्री कैलाश
12. केलादेवी पत्नी कैलाश
13. लीला उर्फ कमलनयन
14. सुरेश पुत्रान हरिसिंह जातियान ब्राहमण निवासीयान भानोत तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
15. माडूराम पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी भानोत तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
16. ग्यासी
17 श्रीया पुत्रीयान पतराम
18 सरोजदेवी पत्नी माडूराम जातियान जाट निवासी भानोत तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
19. राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादीगण

[illegible] इन्द्राज अधि0

Signature Not Verified

—: आ[illegible] डिक्री

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:22:24 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से श्री [illegible] एडवोकेट की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक [illegible]3.2021 को श्री रामसिंह राजावत, सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और आंशिक पर्चा डिक्री दी जाती है:—

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में आराजी खसरा नम्बर 217 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम जोगावाड तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 के

९४६

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

वाद को अंशिंक डिक्री किया जाता है एवं आराजी खसरा नम्बर 216 रकबा 0.16 है0 में से रकबा 0.01 है0 तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 218 रकबा 0.52 है0 में से रकबा 0.04 है0 वादी की हिस्सा आराजी की हद तक प्रतिवादीगण के नाम को हजफ किया जाकर उक्तानुसार कुल रकबा 0.05 है0 वादी के हाल खसरा नम्बर 217 रकबा 0.25 है0 में सम्मलित कर कुल रकबा 0.30 है0 हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.03.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

23/3/21

(रामसिंह राजावत)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर जिला अलवर राज0

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:22:24 IST
Reason: SelfAttested